

आवश्यक निर्देश

आप सभी रिटेलर्स से अनुरोध है कि आप लोग जो भी पैन कार्ड UTI से बनाते हैं उसके सभी फॉर्म को UTI के निर्देश जो की 31/03/2019 को लागु की गई थी, उसके अनुसार हर महीने के 1 तारीख से 5 तारीख के बिच निचे दिए गए पते पे भेज दिया करें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स आप पे 250/- से 300/- तक प्रति पैन कार्ड का जुर्माना लगा सकती है.

पता-

**UTI Infrastructure Technology And Services Limited
No.1/28, Ground Floor, Sunlight Building,
Asaf Ali Road, Old Delhi, New Delhi,
Delhi 110002, Phone: 011 2321 1262**